

(6) 23

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लेट एग्जिजिशन आफिसर्स को उपरत ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लेट एग्जिजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :-

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री श्रीवांग प्रसाद	मथुरा
२	श्री श्रीवांग प्रसाद	फैजाबाद
३	श्री श्रीवांग प्रसाद	मिर्जापुर
४	श्री श्रीवांग प्रसाद	मिर्जापुर

२४ अगस्त, १९५४ ई०

सं० ५६२४/१-५-२०६-५४-सं० एग्जिजिशन एक्ट, १९६४ (एक्ट संख्या १, १९६४) की धारा ३ के अंतर्गत (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री कल्याण सागर प्रियादी, सिद्धा कलेक्टर, बस्ती की उपरत ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

**विविध**

२३ अगस्त, १९५४ ई०

सं० ३२०६/१४-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (एक्ट-सं० १६, १९२७) की धारा २६ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अधिलेख संभार करने में इच्छा अधिकृत करने के लिये जिला बस्ती के अधिकारों के अधीन होने की आवश्यकता है। उपरत अधि अधिकृत उपधारा के प्रतिस्थापक संज्ञक द्वारा तथा उपरत ऐक्ट की धारा २०-ग के साथ पठित उपरत उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने के लिये जांच करने और अधिलेख संभार करने तक उपरत ऐक्ट के सेक्टर ४ के विधि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रस्थापित करते हैं।

**अनुसूची**

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अंतर्गत रक्षित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लंबाई मीटर में	मीमा
१	पं० रूक रोड, मील ५६२/० से लेकर मील ६६३/० तक	मथुरा	७१	०
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ६६/० तक	"	४४	०
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील २/० से लेकर मील ३७/० तक	"	३७	०
४	श्रीवांग प्रसाद रोड, मील ११६/० से मील १७३/० तक	"	५४	०
५	मथुरा-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक	लखनऊ और उत्तरांचल	४६	३ ६४०
६	लखनऊ-दरेकी सड़क मील /० से लेकर मील ५५/० तक	लखनऊ, मीरजापुर, आगरा	१५२	०
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली	१०८	०
८	लखनऊ-मुहतामपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक	लखनऊ, रायबरेली	८५	१ २२८
९	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७६/३-३६६ फीट तक	लखनऊ, फैजाबाद	७६	३ ३६६

**वन विभाग**

सूची

२३ अगस्त, १९५४ ई०

सं० ३१२०/१४-६०(१)-५४-श्री आर० एन० एन० एफ० एम०, सिद्धा कलेक्टर आर० एन० एन० एफ० एम० की २२/१९५४ ई० से ३१ दिन की अवधि छुट्टी की जाती है। उक्त २३ से २६ अक्टूबर, १९५४ ई० रविवार तथा आर० एन० एन० एफ० एम० के साथ सम्बन्धित करने की आज्ञा की जाती है।

**नियुक्ति**

२३ अगस्त, १९५४ ई०

सं० ३१२०(२)/१४-६०(१)-५४-कामगार प्रसाद की तारीख से श्री श्रीवांग, पी० एफ० एम०, सिद्धा कलेक्टर आर० एन० एन० एफ० एम० की २२/१९५४ ई० से ३१ दिन की अवधि छुट्टी की जाती है। उक्त २३ से २६ अक्टूबर, १९५४ ई० रविवार तथा आर० एन० एन० एफ० एम० के साथ सम्बन्धित करने की आज्ञा की जाती है।

प्रमाणिक निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
इलाहाबाद



[Noti.]

waste lands  
of the State of  
Uttar Pradesh  
and  
applicable

station yards  
of Northern  
Railways  
Department

Yamuna on

Forest Act,  
1927  
in behalf,  
of waste  
lands of the State  
of Uttar Pradesh  
and forests  
applicable

Station  
below on  
to the  
agent—

Noti.]

NOTIFICATIONS

*Moradabad Division :*

1. Raiwala—Rishikesh.
2. Najibabad—Kotdwar.
3. Muazampur Narain—Gajroula.
4. Khurja—Hapur—Meerut.
5. Raja-Ka-Sahaspur—Sambhal—Hatim Sarai.
6. Ram Ganga—Chanehti.
7. Rosa—Sitapur Cantt.
8. Sitapur—Balamau—Unnao.
9. Laksar—Dehra Dun.
10. Aligarh—Chandausi—Bareilly.
11. Moradabad—Chandausi.

*Lucknow Division*

1. Rae Bareilly—Unchahar—Phaphamau.
2. Phaphamau—Allahabad.
3. Phaphamau—Janghai—Zafrabad.
4. Zafrabad—Akbarpur.
5. Akbarpur—Tanda.
6. Faizabad—Akbarpur.
7. Utraithia—Faizabad.
8. Kanpur Central—Unnao—Lucknow.

*Allahabad Division.*

1. Hathras—Hathras Kila.
2. Shikohabad—Farrukhabad.
3. Barnan—Etah.
4. Chunar—Chopan.
5. Tundla—Yamuna Bridge.

( 4 )

Noti. No. 8109/XIV-2—503-77, dated January 25, 1979.<sup>1</sup>

In exercise of the powers under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor is pleased to declare the strips of Government forest or waste lands whether under tree growth or not on either side of Railways in the State of Uttar Pradesh, described in the following Schedule to be protected forests and the provisions of Chapter IV and section 68 of the said Act to be applicable to them :

1. Published in U. P. Gazette, Part I, dated 17th February, 1979, pp. 446-447.

*Shree*  
प्रधानीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग  
इलाहाबाद